रिक्शा चालक और उनकी व्यथा

एक तरफ करोड़ो रू. खर्च कर सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं जबकि दूसरी ओर ऐसे कई कानून हैं जो आम आदमी को ईमानदारी से कमाने से रोकती है। रिक्शा चलाने वालों से सम्बंधित कानून इसका जीता जागता उदाहरण है। रिक्शा भले ही अब लगभग लुप्त हो चुका है परन्तु इसकी शैली एक परिवहन के रूप में अभी भी लोगों को आकर्षित करती है। भारत में सन् 1920 में पहली बार रिक्शा शिमला में दिखाई दिये, उसके 20 साल बाद 1938 में कलकत्ता में दिखे। सन् 2000 में दिल्ली में 40,000 रिक्शा चालक थे जबकि 2013 में 90,000 रिक्शा चालक दिल्ली वालों को अपनी सेवाएं पहुँचा रहे हैं।

सरकार रिक्शा चालकों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करती क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी नीति के अन्तर्गत नहीं आते।

गरीबों की सरकार गरीबों पर भारी है। अब दिल्ली नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दिल्ली को तीन क्षेत्रों में बाँट दिया है – मुक्त, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र। जहाँ मुक्त क्षेत्र में रिक्शा चलाने की स्वतंत्रता है। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्कुल मनाही है और सीमित क्षेत्र में रिक्शा चलाने के लिए कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है।

प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र बनाने के पीछे नीति निर्माताओं की यह मान्यता है कि रिक्शा से सड़क जाम की समस्या पैदा होती है। लेकिन जिन सड़कों पर रिक्शा नहीं चलते क्या वहाँ जाम नहीं लगता ? ऐसे में क्या कार और बसों की संख्या भी सीमित कर दी जाए ? अगर कार अथवा अन्य वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए साधारण आदमी के कर से फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं तो फिर रिक्शा चालकों के लिए भी अलग व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है ? ज्ञात होगा कि राजकोष का अधिकांश हिस्सा परोक्ष कर (Indirect tax) से जमा होता है, जिसमें साधारण गरीब लोगों का अधिक योगदान होता है इसके साथ ही अगर रिक्शा चालक सस्ती और आरामदायक सेवा दे सकते हैं और लोग रिक्शा ही सवारी करना चाहते हैं तो फिर कहीं भी रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध क्यों ?

रिक्शा पर गैर जरूरी प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में अनावश्यक कानूनों के द्वारा जबरदस्ती बेरोज़गारी बना कर रखी गयी है। इस देश में मेहनती और अक्लमंद लोगों की कमी नहीं है। लेकिन पग–पग पर गलत नीतियां उसका रास्ता रोके खड़ी है। मेहनतकश लोगों को कमाने से रोकने वाले ऐसी नीतियों को बदलने की जरूरत है।

ज्यादातर रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से दिल्ली में रोज़गार और अपनी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए आते है। वे यह सोचकर गाँव से शहर की ओर आते है कि रिक्शा चलाना एक आसान रोज़गार है जिसमें अन्य रोज़गारों की तुलना में ज़्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है और रिक्शा आसानी से भाड़े पर मिल जाता है। अधिकतर लोग दिल्ली आने से पहले दूसरे लोगों के खेत में काम करते थे या रोज़ दिहाड़ी पर आश्रित थे।

रिक्शा हमारे बीच काफी सामान्य है और हम सब इसकी सवारी करते हैं। आमतौर पर रिक्शा चलाना ठेकेदारी प्रथा पर आश्रित है और ठेकेदार ही रिक्शा चालकों की जिन्दगी चलाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में सस्ते स्थानीय परिवहन में इसकी अहम् भूमिका है। आर्थिक कारणों की वजह से इन सभी को इस कार्य में दखल देना पड़ता है और कोई और रोज़गार के न होने की वजह से 60 वर्ष की की आयु वाले व्यक्तियों को भी यह कार्य करना पड़ रहा है। हर रोज़ 30 से 40 यात्रियों को औसतन 50 कि.मी. की दूरी, लगभग

14 घंटों की कमर तोड़ मेहतन करने के बाद 300 से 400 रू. ही कमा पाते हैं और उसमें से 50रू. से 60रू. रिक्शा के किराये के रूप में गैराज़ मालिक को देते है। रिक्शा चालक आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं होते और न ही उनके पास रिक्शा खड़ करने की जगह होती इसलिए वे अपना रिक्शा नहीं खरीदते। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते की किराये पर कोई झुग्गी ले सके इसलिए वो अपना जीवन यापन फुटपाथ पर या फिर गैरेज़ में रहकर करते हैं। अधिकतर चालक अनपढ़ या थोड़े बहुत पढ़े होते हैं जिससे साफ़ निष्कर्ष निकाला जा सकता है की उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे होगी।

सरकारी नीति और पहचान के सबूतों के अभाव के कारण इनका शोषण किया जाता है। रिक्शा चालक ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, नगरपालिका और निजी वाहन चालकों के शोषण से पीड़ित रहते हैं।

रिक्शा के लिये कोई उचित नियम नहीं है जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, कार चालक इत्यादि से परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी रिक्शा से टायर पंचर करके, तो कभी रिक्शा जब्त करके आदि तरीकों से इन्हें परेशान किया जाता है तथा इनसे वसूली की जाती है, जो कि रिक्शा चालक की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। लाइसेंस न मिलना, सड़क पर जाम के लिये दोषी ठहराया जाना, यातायात और खड़े होने की मनाही – यह सब जताते हैं कि रिक्शा के लिये कानूनी अधिकार नहीं है।

अधिकतर चालक मांसपेशियों में दर्द, सूजन, थकान कमज़ोरी, खिंचवा से प्रभावित रहते हैं। रिक्शा चालकों में इन समस्याओं का होना सामान्य है क्योंकि काम की कड़ी मेहनत होती है और 2–3 यात्रियों को खींचना आसान बात नहीं है। रिक्शा चालक बीमार पड़ने पर सरकारी डॉक्टर या झोलाझाप डॉक्टर के पास जाते हैं। दैनिक थकान से बचने के लिये नशीले पदार्थों का सेवन रिक्शा चालकों में सामान्य है और ज्यादातर वचालक किसी न किसी एक नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं जिसमें शराब सिगरेट बीड़ी और गांजा शामिल है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में कहा गया है कि हर योजना लोगों को ध्यान में रख कर बनाई जाएगी। साथ ही शहरों को इस प्रकार विकसित किया जायेगा कि वह सामाजिक एवम् आर्थिक विकास में मददगार हो। इसके लिए परिवहन भी एक आवश्यक ईकाई है। यह नीति सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की भी बात करती है। परन्तु साथ ही साईकिल चलाने और पैदल चलने को खतरनाक भी घोषित करती है। आज के समय जब समाज एक स्वच्छ, सस्ता और अपने घर तक की यातायात की सुविधा चाहता है और रिक्शा इन सब बातों पर खरा उतर रहा है तो फिर क्यों इनके संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कोई प्रावधान नहीं है ?

वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छे 19(1) के तहत् प्रत्येक भारतीय को अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। इस तरह चालक संवैधानिक रूप से अपना जीवन–यापन कर रहे हैं तो उनका शोषण क्यों किया जा रहा है ? यह एक प्रशन हमारे समक्ष विकराल रूप लेता जा रहा है, जिस पर हमें सोचने और कुछ करने की जरूरत है।